क्रम—संख्या—750

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 अक्तूबर, 1984

आश्विन 13, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2044/सत्रह—वि—1—1(क)14-1984

लखनऊ, 5 अक्तूबर, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम सन् 1910 की धारा 77 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 77 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3842ई/तेरह—512—83, दिनांक 25 मई, 1983 पहली अप्रैल, 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा
सचिव।

No. 2044(2)/XVII-V—I—1-(KA)14-1984
Dated Lucknow, October 5, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1984:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. ACT NO. 23 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title commencement. and

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1983.

Amendment of section 77 of U.P. Act no. IV of 1910.

2. In section 77 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, *after* the proviso thereto, the following proviso shall be *added*, namely :

"Provided further that notwithstanding anything to the contrary contained in this section, or in any contract, judgement, decree or order, the notification no. 3842-E/XIII—512-83, dated May 25, 1983, made by the State Government in exercise of the powers under section 30 shall have effect and be deemed always to have effect on and from April 1, 1983."

Repeal and saving.

U.P. Ordinance no. 12 of 1984.

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 164 सा० विधा०—(2212)—1984—750 (मेक०)।